

962

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (रज.)
पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - करजारी

धारा अन्तर्गत - 136 प्रसं 553/25 तारख दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	हरिजी का उवाडा	20	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाधिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना वडोदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी वडोदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक युद्ध प्रविष्टी	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशांण स्वीकार की जाकर राज भू.श. अधि 1956 की धारा 136 के अधीन अनुशांण राजस्व रेकार्ड में ग्राम हरिजी का उवाडा पर करजारी खातासं 2000 में वर्तमान प्रविष्ट वडोदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- पटवारी पटवार मण्डल करजारी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार (पू.अ.) कपासन
तहसीलदार कपासन